आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)
केस का प्रकार–

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
01.08.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1694/सी0आर0, दिनांक 10.05.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30 (ए) बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत परबत्ता (मड़ैया) थाना कांड 22/2017 दिनांक 19.01.2017 को वादी थानाध्यक्ष मड़ैया श्री रंजीत कुमार परबत्ता (मड़ैया) थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर शंकर चौरसिया पे0 स्व0 बोहरू चौरसिया साकिन वैसा थाना मड़ैया जिला खगड़िया के घर के सटे आंगन के उत्तर गड्ढा से Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 का 10 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। उक्त कांड के अभियुक्त का वैसा स्थित पूरब रूख का एक ईंट खपड़ा का एक कमरा का मकान को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी तलासी सह जप्ती सूची अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का पर्यवेक्षण टिप्पणी एवं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया का प्रतिवेदन 2 संलग्न है। उक्त के आलोक में अधिहरण वाद प्रारंभ किया। अधिहरण प्रस्ताव में स्पष्ट अंकित है कि दिनांक 19.01.2017 को श्री रंजीत कुमार थानाध्यक्ष मड़ैया द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 का 10 बोतल विदेशी शराब अभियुक्त शंकर चौरसिया पे0 स्व0 बोहरू चौरसिया साकिन वैसा थाना मड़ैया के घर के सटे आंगन के उत्तर गड्ढा से बरामद किया गया है। अभिलेख में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह–जप्ती या तलासी की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। जप्ती सूची के अनुसार शंकर चौरसिया के घर के सटे आंगन के उत्तर गड्ढा से Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 का 10 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। प्रतिवादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना था कि शराब की बरामदगी स्थान प्रतिवादी के आंगन में बगल में गड्ढ़ा है और प्रतिवादी के आंगन के सटे उत्तर है। जो सुनसान और खुला हुआ है और उक्त स्थल का उपभोग सार्वजनिक तौर पर ग्रामवासी कुड़ा कचरा एवं गंदगी फेकने हेतु करते हैं और उक्त गड्ढा	

गैर मजरूआ आम है। जिसका अधिहरण वाद के तहत विधिक रूप से कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि उक्त स्थल सील ही नहीं हुआ है और उस पर अधिहरण वाद चलाना विधिक रूप से विधि सम्मत एवं न्याय संगत नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पकड़े गए शराब का स्थल गड्ढा है।

अंचल अधिकारी, परबत्ता से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत जमीन का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा	थाना नं0	खाता संख्या	खेसरा संख्या	किस्म	चौहद्दी
वैसा	352	168	113	आवादी (गैर मजरूआ खास)	उत्तर–गड्ढा दक्षिण–कपिलदेव चौरसिया पूरब–सुदो मंडल पश्चिम–कनिकलाल व उपेन्द्र चौरसिया

अंचल अधिकारी, परबत्ता ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि उक्त जमीन खतियान में आबादी (गैर मजरूआ खास) दर्ज है तथा शंकर चौरसिया, पे0–बहरू चौरसिया या उनके पिता के नाम से प्रश्नगत जमीन का जमाबंदी नहीं चलती है और जमीन पर ईंट खपरैल का मकान बना हुआ है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत शराब बरामदगी स्थल गड्ढा है और वह जमीन गैर मजरूआ खास है उसे अधिहरण नहीं किया जा सकता है।

बहस एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि प्रश्नगत शराब बरामदगी स्थल गड्ढ़ा है तथा प्रतिवादी शंकर चौरसिया के ईंट खपड़े का मकान के सटे उत्तर है। अंचल अधिकारी, परबत्ता द्वारा उक्त स्थल को गैरमजरूआ खास प्रतिवेदित किया गया है। वर्त्तमान में यह मामला न्यायालय में चल रहा है। ऐसी स्थिति में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता
खगड़िया।

समाहर्त्ता
खगड़िया।